

सेना में,

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय,

कानपुर कमिश्नरेट,

कानपुर नगर ।

विषय: धोखा देने की नियत से षडयंत्र रच प्रार्थिनी को उक्त हिस्से की झूठे तथ्यों के आधार पर दान विलेख की बात छिपाते हुए रजिस्ट्री किए जाने व उनका रुपया हड़प लेने के संदर्भ में प्रार्थना पत्र।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थिनी अर्चना बागला पत्नी श्री महेन्द्र बागला पता- 26/70 बिरहाना रोड, कानपुर नगर, हाल पता-हाउस नं. 7, रतन गार्डनिया, 7/68 तिलक नगर, कानपुर नगर की निवासी है। प्रार्थिनी व उसके पुत्र ने दिनांक 01/02/2025 को उमा बागला (नि० बी1 401 सेवियर पार्क , ओम नगर, मोहन नगर साहिबाबाद हाल निवासी- म० न०: 7, रतन गार्डनिया, 7/68 तिलक नगर, कानपुर) से मकान नं.- 26/70 बिरहाना रोड, कानपुर नगर के एक भाग के एक तिहाई भाग का एक विक्रय-विलेख 30,00,000/- (तीस लाख) रुपये में करायी थी। जब प्रार्थिनी ने उक्त व उसके परिवारजनों ने उक्त हिस्से में अपने व पुत्र द्वारा खरीदे गये हिस्से में कब्जा को दिला कर वापस अपनी पुत्री के साथ चली गयी थी। विपक्षी द्वारा किये रजिस्ट्री किये गए भाग पर उसके अन्य रिश्तेदारों द्वारा अपना मालिकाना हक जताये जाने लगा। जब प्रार्थिनी के बेटे व पति द्वारा इसकी जांच करायी गयी तो ज्ञात हुआ कि उमा बागला पत्नी स्व अनिल बागला की सास लक्ष्मी देवी बागला द्वारा 20/04/2019 को अपने पुत्र अजय बागला को अपने हिस्से का दान-विलेख किया जा चुका था। जिसके चलते उमा बागला उपरोक्त मकान में सिर्फ अपने आधे भाग के 1/4भाग की ही मालिक थी। परन्तु उमा बागला द्वारा प्रार्थिनी व उसके बेटे को धोखा देने की नियत से सही तथ्यों को छुपाते हुए रुपया हड़प लेने की नियत से विश्वास में रखते हुये मकान के आधे भाग का 1/3 हिस्से की रजिस्ट्री कर अपनी पुत्री ऋचा शर्मा पत्नी रोहन शर्मा (नि० म० न०: 8/9 राजेंद्र नगर सेक्टर 3, ब्लॉक 8, साहिबाबाद, गाजियाबाद) के साथ गाजियाबाद उसके घर चली गई। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त जानकारी होने पर जब उमा बागला व उनकी पुत्री से बातचीत करने का प्रयास किया गया परन्तु जानबूझकर उनके द्वारा प्रार्थिनी के कोई भी संपर्क नहीं किया जा रहा है। विपक्षी द्वारा उपरोक्त विक्रय विलेख में जानबूझकर पूर्व में षडयंत्र रच कर अपनी पुत्री व इसहयोगी सुरेन्द्र पवार पुत्र रमेशचंद्र (नि० सी 11, शहीद नगर, गाजियाबाद) को गवाह भी बनाया गया है।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है प्रार्थिनी को उमा बागला, उसकी पुत्री ऋचा शर्मा पत्नी रोहन शर्मा (नि० म० न०: 8/9 राजेंद्र नगर सेक्टर 3, ब्लॉक 8, साहिबाबाद, गाजियाबाद), उसके साथ आए सहयोगी गवाह सुरेन्द्र पवार पुत्र रमेशचंद्र (नि० सी 11, शहीद नगर, गाजियाबाद) ने एक राय होकर धोखा देने की नियत से षडयंत्र रच प्रार्थिनी को उक्त हिस्से की झूठे तथ्यों के आधार पर दान विलेख की बात छिपाते हुए रजिस्ट्री किए जाने व उनका रुपया हड़प लेने, के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कड़ी से कड़ी कार्यवाही का आदेश करने की कृपा करें।

प्रार्थिनी/प्रार्थी

दिनांक: 18/02/2025

अर्चना बागला पत्नी श्री महेन्द्र बागला (द्वारा महेन्द्र बागला)

पता- 26/70 बिरहाना रोड, कानपुर नगर,
हाल पता-हाउस नं. 7, रतन गार्डनिया, 7/68 तिलक नगर,
कानपुर नगर ।

Anchana Bagla.

941 50 44 996

933 59 61 613